# न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

**राजस्व अपील संख्या : 83/2025**

| अपीलान्टस | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| 1. निम्बाराम पुत्र स्व.श्री सोनाराम | | 1. भूराराम पुत्र स्व.श्री अणदाराम |
| 2. दुर्गाराम पुत्र स्व.श्री पुरखाराम | | 2. दुडाराम पुत्र स्व.श्री अणदाराम |
| 3. सन्नी पुत्र स्व.श्री पुंरखाराम | | 3. ओमाराम पुत्र स्व.श्री अणदाराम |
| 4. नैनी बेवा स्व.श्री पुरखाराम | | 4. करणाराम पुत्र स्व.श्री अणदाराम |
| 5. बींजाराम पुत्र स्व.श्री नारूराम | | 5. पतासी बेवा स्व.श्री अणदाराम |
| 6. नैनाराम पुत्र स्व.श्री नारूराम | | 6. रामनिवास पुत्र रूपाराम |
| 7. गुलाबीदेवी बेवा स्व.श्री नारूराम | | सभी जातियान–मेघवाल |
| 8. दिलीप पुत्र स्व.श्री किशनाराम | | निवासीयान–ग्राम नान्दिया कला |
| 9.. गीता बेवा स्व.श्री किशनाराम | | तहसील बावड़ी जिला जोधपुर |
| 10. माडू पुत्री स्व.श्री सोनाराम | | |
| 11. धापू पुत्री स्व.श्री सोनाराम | | |
| सभी जातियान मेघवाल | | |
| निवासीयान ग्राम नान्दिया कला | | |
| तहसील बावड़ी जिला जोधपुर | | |
| (अपीलान्ट संख्या 2 से 11 जरिये | | |
| आम मुख्तयार श्री मुकेश पुत्र निम्बाराम | | |
| जाति मेघवाल निवासी ग्राम नान्दिया | | |
| तहसील बावड़ी जिला जोधपुर) | | |

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 374 ग्राम नान्दिया कला जो तहसीलदार ओसिया द्वारा दिनांक 31.03.1994 को स्वीकृत किया गया।**

उपस्थितिः– 1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

## निर्णय

दिनांकः 26.05.2025

अपीलान्ट निम्बाराम पुत्र स्व.श्री सोनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम नान्दिया कला तहसील बावड़ी जिला जोधपुर व अन्य की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट भूराराम पुत्र स्व.श्री अणदाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम नान्दिया कला तहसील बावड़ी जिला जोधपुर व अन्य के विरूद्ध तहसीलदार ओसिया द्वारा दिनांक नामालूम को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 374 ग्राम नान्दिया कला को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दिया कला के खसरा नम्बर 471 रकबा 115 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि खेमाराम पुत्र हिम्मताराम के खातेदारी का आया हुआ है। खेमाराम का देहान्त होने पर उनके वारिस उनके तीन पुत्र सोनाराम, पोकरराम व अणदाराम थे लेकिन खेमाराम का देहान्त होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण केवल एक पुत्र अणदाराम के नाम से ही स्वीकृत किया गया। खेमाराम के तीन पुत्र थे एवं एक पुत्री झमकू थी। इस प्रकार जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी पुत्रों व पुत्रियों के नाम स्वीकृत न कर केवल मात्र एक ही पुत्र के नाम स्वीकृत किया गया, जो गलत है। अपील में यह वर्णित किया गया कि 15 अगस्त 2018 को अपीलान्ट निम्बाराम जमाबंदी की नकल

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर



Scanned with CamScanner

लेने पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि नामान्तरकरण संख्या 374 फौतेदगी का भरा गया, वह केवल मात्र एक पुत्र के नाम ही भरा गया है, इसलिए उसमें अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं है। अपील मे अपीलान्ट ने अपने आपको खेमाराम के पुत्र सोनाराम का वारिस बताया तथा नामान्तरकरण संख्या 374 ग्राम नान्दिया कला जो तहसीलदार ओसिया द्वारा स्वीकृत किया गया, उसे निरस्त करने की प्रार्थना की गई। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें भी यह वर्णित किया गया कि खसरा नम्बर 374 की 115 बीघा 07 बिस्वा भूमि खेमाराम के नाम दर्ज थी एवं खेमाराम के तीन पुत्र सोनाराम, पोकरराम व अणदाराम थे एवं एक पुत्री झमकू थी, लेकिन फौतेदगी नामान्तरकरण केवल मात्र एक पुत्र अणदाराम के नाम ही भरा गया, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है एवं यह भी बताया गया कि नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी 15 अगस्त 2018 को जब अपीलान्ट पटवारी हल्का के पास जमाबंदी की नकल लेने गया तब हुई। उसके पश्चात् अपील दिनांक 29.08.2018 को प्रस्तुत की गई तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने की प्रार्थना की गयी।

अपील दर्ज होने के बाद रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजे गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री निरंजनलाल जोशी, किर्ती पारीक, तख्तसिंह उपस्थित आये तथा उनके द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 374 दिनांक 31.03.1994 को स्वीकृत किया गया है एवं यह अपील 25 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है एवं देरी के संबंध में कोई उचित एवं न्यायसंगत कारण नहीं है। धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब में यह भी अंकित किया गया कि नामान्तरकरण भरने के पश्चात खसरा नम्बर 374 में से 57 बीघा 08 बिस्वा भूमि दिनांक 27.07.2015 को मृतक अणदाराम के वारिसान द्वारा अपीलान्ट को दानपत्र के जरिये दी गई इसलिए अपील चलने योग्य नहीं है। देरी के संबंध में कोई उचित एवं न्यायसंगत स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए अपील खारिज की जावे। अपील के विचारण के दरमियान रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता को बहस के लिए कहा गया तो दिनांक 05.03.2025 को रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने नो–इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया एवं बहस नहीं की। वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने जानबूझकर बहस से बचने के लिए नो–इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया है, इसलिए उक्त प्रकरण में बहस सुनकर अग्रिम कार्यवाही की जावे, जिस पर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में वर्णित उक्त तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 374 की 115 बीघा 07 बिस्वा भूमि खेमाराम पुत्र हिम्मताराम के खातेदारी की थी एवं खेमाराम के तीन पुत्र सोनाराम पोकरराम एवं अणदाराम थे एवं एक पुत्री झमकू थी जबकि फौतेदगी नामान्तरकरण केवल मात्र एक पुत्र अणदाराम के नाम ही स्वीकृत किया गया इसलिए नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त किया जावे तथा अपील के साथ जो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जावे। वकील अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को कोई भूमि दानपत्र के जरिये नहीं दी। अपीलान्ट खेमाराम के पुत्र सोनाराम के वारिस है जबकि खेमाराम के पुत्र पोकरराम के वारिसान को रेस्पोडेन्ट ने कुछ भूमि दानपत्र के जरिये अवश्य दी है, जिसकी जानकारी भी अपीलान्ट को धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश होने पर हुई है। अपीलान्ट को किसी तरह की भूमि अणदाराम के वारिसान से जरिये दानपत्र प्राप्त नहीं हुई है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज करने की प्रार्थना की।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर



Scanned with CamScanner

अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस की बहस पर मनन विचारण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि खसरा नम्बर 374 की 115 बीघा 07 बिस्वा भूमि खेमाराम पुत्र हिम्मताराम के खातेदारी की थी। फौतेदगी नामान्तरकरण केवल मात्र एक पुत्र अणदाराम के नाम ही भरा गया यानि दो पुत्र सोनाराम व पोकरराम एवं एक पुत्री झमकू के नाम से कोई नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक के पुत्र व पुत्रियां होने के कारण उनके नाम का भी नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है, जिसमें नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी 15 अगस्त 2018 को पटवारी हल्का के मार्फत होना अंकित किया है। चूंकि नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित भरा गया है एवं केवल मात्र एक पुत्र के नाम ही स्वीकृत किया गया है, इसलिए प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है तथा अपील में वर्णित तथ्यों के अनुसार मृतक खेमाराम के सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 374 दिनांक 31.03.1994 जो तहसीलदार ओसियां द्वारा स्वीकृत किया गया है, उसे निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक खेमाराम के सभी वारिसान के बाबत जांच कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

Scanned with CamScanner

## न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
### पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

**राजस्व अपील संख्या : 83/2025**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| 1. निम्बाराम पुत्र स्व.श्री सोनाराम<br>जाति मेघवाल<br>निवासी ग्राम नान्दिया कला<br>तहसील बावड़ी जिला जोधपुर<br>व अन्य | | 1. भूराराम पुत्र स्व.श्री अणदाराम<br>जाति मेघवाल<br>निवासी ग्राम नान्दिया कला<br>तहसील बावड़ी जिला जोधपुर<br>व अन्य |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी वास्ते राजस्व अपील संख्या 83/2025 अनवान निम्बाराम व अन्य बनाम भूराराम व अन्य में संशोधन किये जाने हेतु।**

**संशोधित आदेश**

**दिनांकः 30.05.2025**

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता अपीलान्ट को सुना गया। अधिवक्ता अपीलान्ट ने बताया कि अपील प्रस्तुत करते समय ग्राम नान्दिया कला ओसियां तहसील में स्थित था तत्पश्चात बावड़ी तहसील बनने के पश्चात् ग्राम नान्दिया कला बावड़ी तहसील में चला गया। वर्तमान में ग्राम नान्दिया कला बावड़ी तहसील में है। उक्त अनवान के प्रकरण के निर्णय दिनांक 26.05.2025 में तहसीलदार ओसियां को रिमाण्ड किया गया है जबकि ग्राम नान्दिया कला की तहसील बावड़ी होने के कारण प्रकरण तहसीलदार बावड़ी को रिमाण्ड किया जाना चाहिये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त अनवान के निर्णय दिनांक 26.05.2025 के पृष्ठ संख्या 03 की 16वीं पंक्ति में "प्रकरण पुनः तहसीलदार ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है" **के स्थान** पर **"प्रकरण पुनः तहसीलदार बावड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है"** संशोधित किया जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त अनवान के निर्णय दिनांक 26.05.2025 के पृष्ठ संख्या 03 की 16वीं पंक्ति में दिये गये निर्देश में तहसीलदार ओसियां के स्थान पर **तहसीलदार बावड़ी** पढा जावे। उक्त संशोधित आदेश को उक्त अनवान में निर्णय दिनांक 26.05.2025 का भाग समझा जावे।

आदेश आज दिनांक 30.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned with CamScanner